न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नागौद जिला सतना (म0प्र0)

(समक्षः— सचिन शर्मा)

Registration No. CRR 12/2022
Filing No.CRR/1499/2022
CNR No. MP19070017772022
Presenting Date 03-06-2022

श्याम सुंदर विश्वकर्मा, उम्र—55 वर्ष पिता श्री बच्चू लाल विश्वकर्मा, साकिन इटौरा खुर्द, थाना जसो, तहसील नागौद, जिला सतना (मध्य प्रदेश)।

—पुनरीक्षणकर्ता

— वि रू द्ध —

कमलेश विश्वकर्मा पिता श्री गिरधारी लाल विश्वकर्मा, निवासी ग्राम इटौरा खुर्द, थाना जसो, तहसील नागौद, जिला सतना (मध्यप्रदेश)।

—प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी नागौद जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2022 से उदभूत दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 397/399 द.प्र.सं.।

उपस्थिति—
पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री मिथलेश पाण्डेय अधिवक्ता।
प्रतिपुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री कमलभान सिंह अधिवक्ता।

// आदेश //

(आज दिनांक 20.04.2023 को पारित)

01. यह पुनरीक्षण याचिका द0प्र0सं0 की धारा 397 के तहत न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी नागौद जिला सतना म.प्र. के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 05/2022 श्यामसुंदर विश्वकर्मा बनाम कमलेश विश्वकर्मा में पारित आदेश दिनांक 05.04.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द.प्र.स. की धारा 147 के तहत अंतिम आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन निरस्त किया गया है।

02. संक्षेप में पुनरीक्षण याचिका के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि उभयपक्ष के पुश्तैनी मकान ग्राम इटौराखुर्द पटवारी हल्का कलावल तहसील नागौद की आबादी आराजी नंबर 105 रकबा 0.219 हे0 के अंश भाग में पुश्तैनी रूप से निर्मित है और वे अपने–अपने मकानों में निवास करते है। उनके मकान के सामने 19 फीट चौड़ी पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण सी.सी. रोड तक लंबी आबादी निश्तारी भूमि रिक्त पड़ी हुयी है। पूर्व में विवाद होने पर उभयपक्ष के मध्य राजस्व न्यायालय में यह राजीनामा हुआ था कि उक्त निश्तारी भूमि के आधे–आधे भाग अर्थात 9.5–9.5 फुट चौड़ी खाली भूमि सी.सी. रोड तक उभयपक्ष के उपयोग–उपभोग में रहेगी, किन्तु अनावेदक कमलेश अपने हिस्से की निश्तार भूमि से हटकर आवेदक के हिस्से की निश्तार भूमि में अपने मकान का दरवाजा निकाल रहा है और कब्जा करने के लिए प्रयासरत है। आवेदक के दरवाजे के ठीक बगल से नया विवादित दरवाजा खोल रहे है जिसका कचड़ा मलवा आवेदक के आवागमन में बाधक है। हटाने के लिए कहने पर वह झगड़े पर आमादा हो जाता है। इस प्रकार पूर्व के अपील क्रमांक 44/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2015 के राजीनामा का उल्लंघन किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द0प्र0सं0 की धारा 147 के तहत आवेदन और पुलिस को शिकायत किए जाने पर भी कोई कार्यवाही न होने और आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.2022 के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन निरस्त किए जाने से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है।

03. पुनरीक्षणकर्ता याचिका के प्रमुख आधार यह है कि आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटियुक्त है। पूर्व राजीनामा आदेश का पालन नहीं करवाया गया है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया है अपितु मनमाने पूर्ण तरीके से विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

04. इसके विपरीत प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया गया है और आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से उचित और विधि संगत दर्शाते हुए याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

05. न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है :–

1. क्या आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.2022 अंतवर्ती प्रकृति का आदेश है?

2. क्या आलोच्य आदेश शुद्धता, वैधता और औचित्य की दृष्टि से त्रुटियुक्त होकर अपास्त किए जाने योग्य है?''

//<u>सकारण निष्कर्ष</u>//

विचारणीय प्रश्न कमांक–1

06. आलोच्य आदेश के द्वारा अंतिम रूप से द0प्र0सं0 की धारा 147 के तहत आदेश पारित किया गया है जो अंतर्वती प्रकृति का ना होकर अंतिम प्रकृति का आदेश है। अतः आलोच्य आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका पोषणीय पायी जाती है।

विचारणीय प्रश्न कमांक–2

07. जहां तक आलोच्य आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य का प्रश्न है। आलोच्य आदेश के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से प्रकट है कि श्यामसुंदर द्वारा दिनांक 04.03.2022 को आवेदन अंतर्गत धारा 147 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किए जाने पर एस.डी.एम. द्वारा हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन तलब किया गया था। तदउपरांत आगामी तिथि दिनांक 17.03.2022 को जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अनावेदक को तलब किया गया। तदउपरांत दिनांक 22.03.2022 को प्रकरण में तर्क और अवलोकन उपरांत दिनांक 05.04.2022 को एस.डी.एम. द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसमें उन्होने पूर्व अपील में हुए राजीनामा के तथ्य पर भी विचार करते हुए पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन और पंचनामे पर गंभीरता से विचार कर यह पाया कि पूर्व अपील प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा आदेश दिनांक 05.10.2015 को यथावत रखते हुए प्रकरण में पृथक से कोई आदेश दिया जाना उचित नहीं है क्योंकि मौके पर रास्ते में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। आवेदक के सुखाचार में कोई व्यवधान कारित नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवेदक का आवेदन उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर निरस्त किया गया है।

08. यहां यह उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का के द्वारा प्रस्तुत अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 14.03.2022 में एस.डी.एम. को स्थल पंचनामा पृथक से संलग्न करते हुए यह प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदकगण पूर्व से मकान एवं निस्तार कर पृथक–पृथक काबिज है। आवेदक श्यामसुंदर ने रास्ते तक अपना मकान बना दिया है और उसी तरफ दरवाजा है, जबकि अनावेदक का मकान पीछे की तरफ बना हुआ है जिसके सामने निस्तार की भूमि पड़ी हुयी है। आवेदक का कहना है कि वहां से उनका रास्ता है, जबकि आवेदक का दरवाजा निकास रास्ते में है इसलिये आवेदक का रास्ता किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं होता है। पटवारी द्वारा जो स्थल पंचनामा दिनांक 11.03.2022 को तैयार किया गया उस पर आवेदक के भी हस्ताक्षर अंकित हैं।

09. इस प्रकार पुनरीक्षण याचिका में लिया गया यह आधार कि एस. डी.एम. द्वारा पटवारी हल्का के प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया पूर्णतः आधारहीन प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया आलोच्य आदेश और प्रकरण की कार्यवाही में शुद्धता, वैधता और औचित्यता की दृष्टि से कोई कमी प्रतीत नहीं

होती है।

10. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया आलोच्य आदेश दिनांक 05.04.2022 की पुष्टि करते हुए यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य न होने से निरस्त की जाती है।

11. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावें।

12. पुनरीक्षण पत्रावली बाद आवश्यक इन्द्राज कर नियत अवधि में अभिलेखागार में भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में, मेरे निर्देशन पर टंकित करा हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

स्थानः— नागौद
दिनांक— 20.04.2023

(सचिन शर्मा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
नागौद, जिला सतना (म.प्र.)